

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत

प्रेषक:— शोभाराम पुत्र गोकलानन्द
ग्राम पलोगी पो० पोखरी
जिला टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मृत्यु संतोषी
श्रीमान लोक सूचना अधिकार / मुख्य प्रबन्धक
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

Saudamini,
Plot No.2, Sector 29,
Near IFFCO Chowk,
Gurgaon (Haryana) - 122001,
INDIA

श्रीमान लोक सूचना अधिकार 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाहने विषयक।

विषय:— सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाहने विषयक।

महोदय,

प्रार्थी उपर्युक्त विषयक श्रीमान कार्यालय से सूचना / जानकारी प्राप्त करना चाहता है:—

1— यहकि प्रार्थी ग्राम पलोगी पट्टी क्वीली पो० पोखरी जिला टिहरी गढ़वाल का निवासी है और उक्त ग्राम में प्रार्थी का मकान एवं खेत स्थित हैं के सम्बन्ध में प्रार्थी जानना चाहता है कि पावर ग्रिड की हाईटेंशन लाईन मकान, खेतों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए यानि किस दूरी के आधार पर विभाग द्वारा मकान एवं खेतों का मुआवजा दिया जाता हैं ?

2— यहकि प्रार्थी के मकान का मुआवजा कुन्दन लाल को किस आधार पर दिया गया है तथा प्रार्थी एवं एक अन्य भाई प्रेमलाल को किस आधार पर मुआवजे से

वंचित रखा गया है ? की जानकारी दें। क्या प्रेमलाल द्वारा कोई एन0ओ0सी0 विभाग को दी गई है यदि हॉ तो उसकी छायाप्रति दें।

3— यहकि कुन्दनलाल विजल्वाण निवासी ग्राम पलोगी पो0 पोखरी को कितने रुपये का भुगतान हुआ ।

4— यदि किसी भाई द्वारा मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया गया तो किस आधार पर शेष मुआवजा दिया गया ।

5— यहकि यदि प्रार्थी द्वारा कोई एन0ओ0सी0 उक्त मामले में दी गई है तो उसकी छायाप्रति दें अथवा मुआवजा प्राप्तकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज / शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसकी छायाप्रति दें।

6— यहकि प्रार्थी द्वारा कई बार आपके विभाग को इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये गये हैं उन प्रार्थना पत्रों पर विभाग द्वारा की गई ठोस कार्यवाही से अवगत करायें।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी/आवेदक को उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी/सूचनामय छायाप्रति यथाशीघ्र कराने की कृपा की जाय।

दिनांक 25/11/2013

प्रार्थी/आवेदक


शोभाराम पुत्र गोकलानन्द
ग्राम पलोगी पो0 पोखरी
जिला टिहरी गढ़वाल
उत्तराखण्ड।

आवेदन शुल्क रु0 10/- के पोस्टल आर्डर पर आवेदन पत्र टंकित।